न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 30/2014 ::

आर.सी.एम.एस. न. ::2014/00105 ::

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

भागचन्द पुत्र धर्मीचन्द जाति जैन निवासी झुठा, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

1. ग्राम पंचायत झुठा जरिये सरपंच
2. श्रीमती ललिता बेवा सुनील कुमार जैन निवासी झुठा, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता प्रार्थी श्री मो. शरीफ काजी उपस्थित

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 20/02/2019

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत झुठा पंचायत समिति रायपुर की मिसल संख्या 3/2003—04, प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 20.07.2004 की पालना में जारी पट्टा संख्या 4103 के विरूद्ध पेश की है प्रार्थी की निगरानी दर्ज की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत झुठा द्वारा दिनांक 23.01.1962 को मिशल संख्या 12/1961—62 कायम कर प्रार्थी भागचंद व उसके पिता धर्मीचंद के नाम पट्टा संख्या 78 जारी किया था, जो कि आज भी अस्तित्व में है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विरूद्ध जाते हुए पट्टा संख्या 78 की भूमि का पुनः एक पट्टा अप्रार्थियां संख्या 2 श्रीमती ललिता के पति के सुनील कुमार जैन के नाम जारी कर दिया, जो कि प्रार्थी के भाई है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.07.2004 को प्रस्ताव संख्या 6 लेते हुए उसमें पुराने बसे मकान के पुश्तैनी पट्टा बनाने हेतु एक ही परिवार के व्यक्तियों के नाम पट्टा जारी करने का प्रस्ताव ले लिया तथा इसी प्रस्ताव की पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया गया। जो काबिल निरस्त है। जैर निगरानी पट्टा संख्या 4103 के पड़ौस एवं पट्टा संख्या 78 के पड़ौस एक ही है। पट्टा संख्या 78 में धर्मीचंद जैन व प्रार्थी भागचंद जैन के 1/2—1/2 हिस्सा दर्ज सुदा है। धर्मीचंद जैन के दो पुत्र है, एक प्रार्थी भागचंद जैन व दुसरा अप्रार्थियां का पति सुनील कुमार, उक्त पट्टा भूमि पर आधा हिस्सा भागचंद जैन का है, तथा शेष हिस्से में से आधा हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थियां के पति का 1/2—1/2 हिस्सा आता है। जबकि अप्रार्थिया के पति ने ग्राम पंचायत से मिलावट कर बिना मिसल कायम किए, बिना नक्शा बनाये, बिना आपत्ती इश्तिहार जारी किए तथा बिना संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए, जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी

अति० जिला कलक्टर, पाली

पालना में पट्टा जारी करने से पूर्व न तो प्रार्थी को सुना गया एवं न ही विधिक प्रावधानों की किसी भी रूप में पालना की। जब पूर्व में उक्त भूमि का पट्टा बनाया जा चुका था एवं वह पट्टा अस्तित्व में था, तो ग्राम पंचायत दुबारा उक्त भूमि का पट्टा बनाने हेतु सक्षम ही नहीं थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा विधि प्रावधानों का दुरूपयोग कर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पति सुनील जैन के नाम पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज़ योग्य हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी जिस पट्टे का जिक्र कर रहे है, उस भूमि का जैर निगरानी विवादित आराजी से कोई सरोकार नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 2 के पति द्वारा अपने रहवासीय मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी की निगरानी का मुख्य आधार यह रहा कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर पूर्व में पट्टा संख्या 78 जारी हो चुका है, जो अस्तित्व में रहते दुबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं। पट्टा संख्या 78 एवं जैर निगरानी पट्टे का मिलान करने पर यह स्थिति प्रकट होती हैं कि इन दोनों ही पट्टों के पडौस समान है, जिससे यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसी भूमि पर पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी भागचन्द एवं उसके पिता धर्मीचन्द के नाम से पट्टा जारी हो चुका है, जो अस्तित्व में हैं। इस कारण ग्राम पंचायत को दुबारा उसी भूमि पर पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि विरूद्ध पाया जाता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत झुठा पंचायत समिति रायपुर की मिसल संख्या 3/2003--04, प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 20.07.2004 की पालना में जारी पट्टा संख्या 4103 दिनांक 20.07.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड पालनार्थ भिजवाया जावे।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/02/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली